

पचा डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजरव) एवं सहायक कलेक्टर
टिब्बी, जिला हनुमानगढ़
पीठारी अधिकारी :- श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

प0न0 209 / 2025

1. राजाराम पुत्र बीरबलराम जाति जाट निवासी रामपुरा उर्फ रामसरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

वादी

- वनाम
1. बृजलाल पि0 बीरबलराम जाति जाट निवासीयान रामपुरा उर्फ रामसरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़
 2. भागीरथ जिला हनुमानगढ़
 2. सुखवीर सिंह पुत्र मनीराम जाति जाट निवासी रामपुरा उर्फ रामसरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

तहसीलदारं राजरव टिब्बी।

प्रतिवादीगण

डिक्री

दिनांक 21/8/25

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर टिब्बी के समक्ष वकील वादी श्री संजयशर्मा व प्रतिवादी वकील जयनारायण शर्मा अंतिम निपटारे/निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादी की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है (क) वादी राजाराम पुत्र बीरबलराम को प्राप्त आराजी- चकन0 4.ए. जी के प0न0 216/350 मु0 10 किलानं0 4 से 7 14 से 17,24,25/2530 है0, प0न0 216/351 मु0 15 किला न0 4/1/228, 4/2/025, 5/1/228, 5/2/025, 6,7,14,15./1.012, प0न0 217/350 मु0 11 किलानं0 1,10,11,20,21/1.265 है, प0न0 217/351 मु0 14 किलानं0 1/1/228, 1/2/025, 10, 11/.506 कुल 6.072 है0 चकन0 2 आर.डबल्यू डी के प0न0 226/345 मु0 76 किलानं0 1,2,10/759, 9/152 है0 उतर दिशा कुल 0.911 है0, चकन0 2 आर. डबल्यू डी के जमाबन्दी सबत 2075 ता 78 के खाता सं0 71/64 में अंकित कुल 0.6060 है0 वादी का 2/5 हिरसा, इस खाता में से प्रतिवादी भागीरथ का नाम कलमजन किया जावे। चकन0 4 एजी के जमाबन्दी सबत 2075 ता 78 के खाता सं0 10 में वादी का हिरसा 307/1164 इस खाता में प्रतिवादी बृजलाल, भागीरथ पि0 बीरबलराम का नाम कलमजन किया जावे।

(ख) प्रतिवादीसं0 2 बृजलाल पुत्र बीरबलराम को प्राप्त आराजी - चकन0 1 एजी के प0न0 212/345 मु0 22 किलानं0 16/1/228, 16/2/025, 17 24/505, 25/1/227, 25/2/026 है0, प0न0 213/345 मु0 21 किलानं0 13 से 19/1.771, 20/2/202, 21/2/.177, 22/2/228, 23/2/228, 24/2/227, 25/2/227, प0न0 214/345 मु0 20 किलानं0 11/.050 20/.101, 21/.164 कुल 4.387 है0.

अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर
टिब्बी


चकनं० 2 आर. डबल्यू. डी. के प०न० 225/344 मु० 67 किलानं० 24, 25/.506, प०न० 226/344 मु० 66 किलानं० 21, 22/.506 है० कुल 1.012 है०

(ग) प्रतिवादी सं० 2 भागीरथ को प्राप्त आराजी चक नं० 4 ए.जी. के प०न० 218/352 मु० 28 किलानं० 1 से 20/5.060, 21 से 25/1.265 कुल 6.325 है०, चकनं० 2 आर. डबल्यू. डी. के प०न० 226/345 मु० 76 किलानं० 9/.101 है० दक्षिण दिशा, 12/.253, प०न० 226/346 मु० 81 किलानं० 1,2/.506 है० कुल 0.860 है०

(घ) प्रतिवादी सं० 3 सुखवीर को प्राप्त आराजी - चकनं० 4 ए.जी. के प०न० 218/351 मु० 13 किलानं० 16 से 20/1.265, 21/1, 22/2, 23/1, 24/2/ प्रत्येक .228 है०, 25/2/.227 कुल 2.404 है०

(ड) चकनं० 3 आर डबल्यू डी जमाबन्दी संवत् 2075 ता 78 के खाता सं० 35 में भागीरथ पुत्र बीरबलराम 8/37 हिस्सा, वृजलाल पुत्र बीरबलराम 7/37 हिस्सा, इस खाता में वादी व प्रतिवादी सं० 3 सुखवीर सिंह का नाम कलमजान किया जावे। तहसीलदार राजस्व टिब्बी को निर्देशित किया जाता है कि यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद एवं जमाबंदी में गै०मु० रकबे को यथावत रखते हुए यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नही हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 21.8.25 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।


(उपस्थान अधिकारी एवं
उपपदेव अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलेक्टर टिब्बी।